



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062024-254670
CG-DL-E-12062024-254670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2145]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2024/ज्येष्ठ 22, 1946

No. 2145]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2024/JYAISHTHA 22, 1946

शिक्षा मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2024

का.आ. 2247(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अधिसूचना जो का.आ. सं. 980(अ), तारीख 4 मार्च, 2020 द्वारा जारी की गई थी, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 4 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) क्रम सं. 18 और क्रम संख्या 19 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्.:-

“18. प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, शिक्षा संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य
19. प्रोफेसर रमेशभाई चतुरभाई पटेल, शिक्षा विभाग, महाराजा सैयाजीराव विश्वविद्यालय, बडौदा, गुजरात	सदस्य”

(ii) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

“25 प्रोफेसर शशीकला, बंजारी, कुलपति, राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य”
---	--------

(iii) क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

“28 प्रोफेसर देवाशीश बंधोपाध्याय, कुलपति, काजी नजरूल विश्वविद्यालय, आसनसोल, पश्चिम बंगाल	सदस्य”
--	--------

(iv) क्रम संख्या 39 और क्रम संख्या 40 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

“39 श्रीमती अनीता शर्मा, प्रधानाचार्य, एस डी पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा, नई दिल्ली	सदस्य
40. श्री बैजामिन न्यूटन, प्रधानाचार्य, ग्रेस अकादमी, देहरादून	सदस्य”

[फा.सं. 11-21/2019-ईई-10/आईएस.14]

प्राची पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 4 मार्च, 2020 में का. आ. सं. 980(अ), तारीख 4 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका अंतिम संशोधन का.आ. 3043(अ), तारीख 10 जुलाई, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2024

S.O. 2247(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 3 read with section 4 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Central Government, hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Human Resource Development (Department of School Education and Literacy), vide number S.O.980(E), dated the 4th March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 4th March, 2020, namely:-

In the said notification, -

- (i) for serial numbers 18 and 19 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“18. Prof. Sunil Kumar Singh, Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi	Member
19. Prof. Rameshbhai Chaturbhai Patel, Department of Education, Maharaja Sayajirao University, Baroda, Gujarat	Member”

- (ii) for serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“25. Prof. Shashikala Wanjari, Vice Chancellor, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi	Member”
--	---------

- (iii) for serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“28. Prof. Debashis Bandyopadhyay, Vice Chancellor, Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal	Member”
--	---------

- (iv) for serial numbers 39 and 40 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“39. Smt. Anita Sharma, Principal, S D Public School, Pitampura, New Delhi	Member
40. Shri Benjamin Newton, Principal, Grace Academy, Dehradun	Member”

[F.No.11-21/2019-EE-10/IS.14]

PRACHI PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th March, 2020, *vide* number S.O.980 (E), dated the 4th March, 2020 and lastly amended *vide* S.O. 3043 (E) dated 10th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).